रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2842] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2019/भाद्र 6, 1941
No. 2842] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2019/BHADRA 6, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

सं. 14/2015–2020

विषयः– आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 87 के अंतर्गत नई नीतिगत शर्त 'ामिल करने के संबंध में।

का.आ.3111(अ).–समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस) 2017–अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय–87 के अंत में एक नई नीतिगत शर्त, सं. 12 निम्नानुसार शामिल करती हैः

(12) वाहन विनिर्माताओं अथवा भारत में उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से अथवा संगठन/नागरिक द्वारा निजी उपयोग, प्रदर्शन, परीक्षण, अनुसंधान या वैज्ञानिक उपयोग आदि के लिए आयातित वाहनों के पंजीकरण के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन (11 वां संशोधन) नियमावली, 2018 के अंतर्गत जारी तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 13 सितम्बर, 2018 को जीएसआर 870 (अ.) के तहत अधिसूचित मानक प्रचालन प्रकिया का पालन करना होगा।

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः** वाहन विनिर्माताओं अथवा भारत में उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से अथवा संगठन/नागरिक द्वारा निजी उपयोग, प्रदर्शन, परीक्षण, अनुसंधान या वैज्ञानिक उपयोग आदि के लिए आयातित वाहनों के पंजीकरण के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन (11 वां संशोधन) नियमावली, 2018 का पालन करना होगा।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/89/180/27/एएम–14/पीसी–2(क)/ड.–5961]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन सचिव

टिप्पणीः प्रधान अधिसूचना सं. 36/2015–2020, दिनांक 17 जनवरीच, 2017 सा. आ. सं. 172 (अ.), दिनांक 17 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और अधिसूचना सं. 07/2015–20, दिनांक 8 मई, 2018 के तहत संशोधित की गई और दिनांक 8 मई, 2018 की संख्या सा.आ. 1848 (अ.) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2019

No. 14/2015-2020

Subject: Insertion of a new policy condition under Chapter 87 of ITC (HS), 2017 – Schedule – 1 (Import Policy).

S.O. 3111(E):—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby inserts a new Policy Condition, number (12) at the end of Chapter 87 of ITC (HS) 2017 – Schedule – 1 (Import Policy) as under:-

(12) *R*egistration of vehicles imported by the vehicle manufactures or through their authorised representatives in India or by the organisation / citizen for personal use, demonstration, testing, research or scientific use etc. shall comply with the Standard Operating Procedure issued under Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2018 and notified vide GSR 870(E) dated 13th September, 2018 by the Ministry of Road Transport and Highways.

2. Effect of this Notification: *R*egistration of vehicles imported by the vehicle manufactures or through their authorised representatives in India or by the organisation / citizen for personal use, demonstration, testing, research or scientific use etc. shall comply with the Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2018.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/27/AM-14/PC-2(A)/E-5961]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Secy

Note: The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extra – ordinary vide number S.O. 172 (E), dated the 17th January, 2017 and amended vide Notification No.07/2015-20 dated 8th May, 2018 was published in the Gazette of India, Extra – ordinary vide number S.O. 1848(E) dated 8th May, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.08.29 19:20:56 +05'30'